विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 21.05.2015 को आयोजित बिहार शहरी विकास अभिकरण की Board of Management की 9वीं बैठक की कार्यवाही:—

1. Board of Management की पिछली बैठक दिनांक 16.07.2014 की कार्यवाही की संपुष्टि की गयी।

2. Board of Management की पिछली बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा की गयी।

3. बिहार शहरी विकास अभिकरण की पुर्नसंरचना पर विचार किया गया। प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा विस्तृत प्रस्तुति करते हुए बताया गया कि BUDA की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। उस समय BUDA के कार्य, वर्तमान परिस्थितियों से पूर्णतः भिन्न थे। वर्तमान में BUDA को विभिन्न केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों के राज्य नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना पड़ता है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण कार्यक्रम यथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के कार्यान्वयन एजेंसी का दायित्व निभाना पड़ता है। इस परिस्थिति में BUDA की पुर्नसंरचना करना आवश्यक है।

4. <u>सम्यक विचारोपरांत निम्नवत निर्णय लिये गये</u> :—

   (i) पुर्नसंरचना के उपरांत BUDA, सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत एक संस्था रहेगी, जिसमें सामान्य पर्षद् विकास आयुक्त की अध्यक्षता में होगी तथा कार्यकारिणी समिति प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में होगी। सोसाईटी की संरचना तथा प्रस्तावित बायलॉज अनुलग्नक–1 के अनुरूप होंगे।

   (ii) सोसाईटी के वर्तमान कार्यों को देखते हुए प्रस्तावित मानव बल अनुलग्नक–2 के विवरण के अनुरूप होगा। इसमें से वह मानव बल, जिसके पदों की पूर्व से स्वीकृति प्राप्त है, उसे प्रतिनियुक्ति या नई नियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा। रिक्ति फिर भी रह जाने पर पदों पर नियुक्ति सेवानिवृत्त कर्मियों में से संविदा के आधार पर की जाएगी। जिन पदों पर केन्द्र सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु योजना विशेष की अवधि के लिए मानव बल की आवश्यकता है, उन पदों पर पदों के सृजन

की स्वीकृति, योजना प्राधिकृत समिति से प्राप्त करके, मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की जाय। जिन पदों को स्थायी रूप से सृजित करना प्रस्तावित है, उन पदों को पदवर्ग समिति के माध्यम से अनुशंसा प्राप्त करके, मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की जाय।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

22/6/15

(एस०के० नेगी),
विकास आयुक्त, बिहार

ज्ञापांक– 2906 **/न० वि० एवं आ० वि०, बिहार, पटना, दिनांक–** 24/6/15

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

22/6/15

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक–2906 **/न० वि० एवं आ० वि०, बिहार, पटना, दिनांक–** 24/6/15

प्रतिलिपि– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/निदेशक, बुडा/सभी संबंधित पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/6/15

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।